CAS-B
TO

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II—SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page No. 2416—2419

Dated 9-11-2002

अधिसूचना

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

(निर्माण खण्ड)

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2002

सा.का.नि. 469.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के तकनीकी अधिकारी, सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह ''ख'' राजपत्रित (अलिपिक वर्गीय) के पद पर भर्ती की पद्धति के विनियमन के लिए नियमों में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (तकनीकी अधिकारी), भर्ती नियम, 2002 का संशोधन है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :** पद संख्या, वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों के साथ अनुबंधित अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हता आदि :** उक्त पदों से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य मामलें वे होंगे जो अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता :** वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित हो, से विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग, से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत सेवा के परिवर्धित वर्षों का लाभ अनुमत्य है।
1	2	3	4	5	6	7
तकनीकी अधिकारी	19* (2002) *कार्यभार के आधार पर परि- वर्तन किया जा सकता है।	सामान्य सिविल सेवा, समूह ''ख'' राजपत्रित अलिपिकवर्गीय	6500-200-10,500 रुपए	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित, शैक्षिक और अन्य अर्हता	क्या प्रोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिये निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हता लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रोन्नति के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : क्या सीधी भर्ती द्वारा या द्वारा की जानी है और उन पदों का प्रतिशत जिन्हें भर्ती की विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरा जाना है	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे प्रतिनियुक्ति/आमेलन प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है
11	12
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति सहायक (वास्तुकीय विभाग) के ग्रेड में 6 वर्ष की नियमित सेवा। **टिप्पणी:** यदि उन कनिष्ठ व्यक्तियों की प्रोन्नति पर विचार किया जाता है जिन्होंने अपने अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है तो उनके वरिष्ठ सभी व्यक्तियों की प्रोन्नति पर भी विचार किया जाएगा। बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा से आधी अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने से कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ-साथ अगले ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना किस प्रकार से है	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
13	14
समूह ''ख'' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार के लिए) 1. अपर महानिदेशक (वास्तुकीय)अपर महानिदेशक —अध्यक्ष 2. मुख्य वास्तुक/मुख्य इंजी, के.लो.नि.वि. —सदस्य 3. निदेशक (निर्माण)/उप-सचिव शहरी विकास मंत्रालय —सदस्य 4. प्रशासन निदेशक, के.लो.नि.वि. —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 32/4/2001-(एस. एण्ड डी.)]

मेहर सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION

(Works Division)

New Delhi, the 5th November, 2002

G.S.R. 469.— In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Public Works Department (Technical Officers) Rules, 1986 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Technical Officer, in the Central Public Works Department in the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, namely :—

1. **Short Title and commencements :**— (i) These rules may be called the Central Public Works Department (Technical Officer) Recruitment Rules, 2002.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay :—The number of posts, their classification and the scale of pay attached hereto. shall be specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc :**— The method of recruitment to the said posts, age limit. qualifications and other members relating thereto shall be specified in columns 5 to 14 of the Schedule.

4. **Disqualification :**—No person.

(a) who. has entered, into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who. having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

Shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax :**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by Order. for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings :**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay
1	2	3	4
1. Technical Officer	19* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	General Civil Service Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 6500-200-10500

Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
5	6	7
Selection	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any.
8	9	10
Not applicable	Not applicable	2 years for promotees

Not applicable	Not applicable	2 years for promotees

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption & as per percentage of the posts to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion, deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
11	12
By promotion	**Promotion :** Assistant (Architect Department) with 6 years regular sercive in the grade. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their seniors whould also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
13	14
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for Considering Promotion) 1. Additional Director General (Arch)/ Additional Director General —Chairman 2. Chief Architect/Chief Engineer, Central Public Works Deptt. —Member 3. Director (Works)/Deputy Secretary, Ministry of Urban Development —Member 4. Director of Administration, Central Public Works Department —Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 32/4/2001-S&D/IFW-1]

MEHAR SINGH, Under Secy.

MGIPRRND—3446 UD&PA/2002—100.